न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 12/2024

1. रामेश्वर पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी। —प्रार्थी

बनाम

1. सुमित्रा पत्नी रामगोपाल
2. लाली पत्नी रणजीत
3. रामगोपाल पुत्र मांगीलाल
4. रणजीत पुत्र मांगीलाल
   समस्त जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी।।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 जाप्ता दीवानी एवं सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित :

1. श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़ अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री अशोक कुमार पालीवाल अभिभाषक अप्रार्थीगण

::–निर्णय–:: दिनांक 07.08.2024

1. **प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 जाप्ता दीवानी एवं सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत् साथ ही प्रार्थना पत्र अ0 धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि** प्रार्थनापत्र रामेश्वर पुत्र मांगीलाल जाट निवासी गोपालपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी ने माननीय न्यायालय में आवंटन निरस्तगी हेतु प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थनापत्र विचाराधीन रहते दिनांक 19.07.2017 को प्रार्थी रामेश्वर की मृत्यु हो चुकी है। जिसका विधिक वारिस जायन्दा पुत्र आयुष चौधरी आयु 10 वर्ष है। जिसका संरक्षक चाचा महादेव चौधरी पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी गोपालपुरा है। प्रार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी होने पर प्रार्थी ने एक **प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी व धारा 5 मियाद अधिनियम के अधीन दिनांक 06.02.2020 को पेश किया था।** इसके उपरान्त दिनांक 27.07.2023 को उक्त पत्रावली न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर से माननीय न्यायालय अति जिला कलक्टर केकड़ी में अन्तरित कर दी गई। प्रार्थी आयुष चौधरी जरिये संरक्षक महादेव माननीय न्यायालय से कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ इस कारण प्रार्थी को प्रकरण माननीय न्यायालय केकड़ी में अन्तरित होने की जानकारी नही हो सकी।
2. दिनांक 28.02.2024 को अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 क जाप्ता दीवानी एवं आदेश 22 नियम 3 का पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा बगैर **प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थनापत्र स्वीकर कर प्रार्थनापत्र को अबेट कर पत्रावली फेसल शुमार कर दाखिल दफ्तर कर दी गई।** प्रार्थी उक्त पत्रावली की जानकारी करने के लिये दिनांक 01.05.2024 को अजमेर गया व अधिवक्ता से संपर्क किया तो जानकारी हुई कि उक्त पत्रावली माननीय न्यायालय केकड़ी में अन्तरित हो चुकी है। जिस पर प्रार्थी ने केकड़ी आकर जानकारी की तो पता चला कि उक्त पत्रावली दिनांक 28.02.2024 को खारिज हो चुकी है। प्रार्थी को उक्त पत्रावली खारिज होने की जानकारी दिनांक 09.05.2024

को हुई। इस कारण प्रार्थनापत्र पेश करने में विलम्ब हुआ जो क्षमा किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर देरी को कन्डोन किया जावे।

अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर उक्त वाद/प्रार्थनापत्र संख्या 90/2023 की खारिजी/उपशमन को अपास्त किया जाकर सुनवाई किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

3. **अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 जाप्ता दीवानी व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि** दिनांक 28.02.2024 को अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10(क) जाप्ता दीवानी एवं आदेश 22 नियम 3 जाप्ता दीवानी प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2024 को प्रस्तुत किया था। जो उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा जो आदेश पारित किये थे जो पूर्णतया सही व सत्य है।

प्रार्थी स्वयं को उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित कथन की जानकारी होने के बावजूद भी प्रार्थी जानबुझकर हाजिर अदालत में उपस्थित नहीं हुआ एवं रामेश्वर की मृत्यु दिनांक 19.07.2017 को होने की जानकारी होने के बावजूद भी जानबुझकर उनके विधिक वारिसान बनाने हेतु दिनांक 06.02.2020 को समय अवधि निकलने के बावजूद भी धारा 5 का प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया व उक्त तथ्य की जानकारी प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.05.2024 को ताहिद किया है जो कानूनी तौर पर आदेश 22 नियम 3 जाप्ता दीवानी व लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थी के उक्त वाद पत्र को जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2024 को अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 (ए) एवं आदेश 22 नियम 3 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र सुनवाई कर प्रार्थी का जो प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) भू–राजस्व अधिनियम के तहत उक्त प्रार्थना पत्र को अबेट करने के आदेश पारित किये थे जो पूर्णतया विधि सम्वत होने से पूर्णतया सही है।

प्रार्थी को दिनांक 09.05.2024 को कैसे जानकारी हुई जिसकी जानकारी प्रार्थी द्वारा कोई समक्ष साक्ष्य से सिद्ध नहीं की। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का उक्त प्रार्थना व धारा 5 का प्रार्थना पत्र जो बिना किसी कारण के प्रस्तुत किया है जिसको मय हर्जे खर्चे से खारिज फरमाया जावे।

जवाब में निम्नानुसार अतिरिक्त कथन पेश किया कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र जो पूर्व में अपर जिला कलक्टर महोदय अजमेर में जो प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 14 (4) के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था व उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन के दौरान प्रार्थी रामेश्वर की मृत्यु जो दिनांक 19.07.2017 को हो गयी थी। जिसकी सूचना प्रार्थी के परिवारजन द्वारा जानबुझकर दिनांक 06.02.2020 को माननीय न्यायालय के समक्ष आदेश 22 नियम 3 व (9) सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था व उसके विधिक वारिस फर्जी तरीके से आयुष चौधरी को ताहिद किया गया है व उक्त प्रार्थना पत्र समय अवधि में प्रस्तुत नहीं होने से प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे से खारिज होना न्यायोचित्त एवं आवश्यक है।

प्रार्थी द्वारा जो उक्त प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत के चार वर्ष बाद प्रार्थी द्वारा जो उक्त प्रार्थना पत्र की जानकारी होना अंकित की है जो सन्देहप्रद है व प्रार्थी महादेव द्वारा जानबुझकर मृतक रामेश्वर के कोई जायन्दा वारिस नहीं होने के कारण महादेव द्वारा फर्जी तरीके से आयुष चौधरी को मृतक रामेश्वर का विधिक वारिस माना है जो कानूनी तौर से गलत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने व उक्त प्रार्थना

पत्र जो प्रार्थी द्वारा जानबुझकर लिंगर एण्ड लोंग करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण सं0 01 लगायत 04 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे से खारिज फरमाया जावें।

4. **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत जवाब से पेश कर निवेदन किया कि** मियाद अधिनियम की धारा 5 व आदेश 22 नियम 3 जाप्ता दीवानी के तहत मृतक रामेश्वर के विधिक वारिसान को तीन माह की अवधि सीमा के अन्दर वारिसानों को रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। व ऐसी स्थिति में प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम के तहत चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

   अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे से खारिज फरमाया जावे।

5. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी।

6. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त प्रार्थनापत्र विचाराधीन रहते दिनांक 19.07.2017 को प्रार्थी रामेश्वर की मृत्यु हो चुकी है। जिसका विधिक वारिस जायन्दा पुत्र आयुष चौधरी आयु 10 वर्ष है। जिसका संरक्षक चाचा महादेव चौधरी पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी गोपालपुरा है। प्रार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी होने पर प्रार्थी ने एक **प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी व धारा 5 मियाद अधिनियम के अधीन दिनांक 06.02.2020 को पेश किया था।** इसके उपरान्त दिनांक 27.07.2023 को उक्त पत्रावली न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेंर से माननीय न्यायालय अति जिला कलक्टर केकड़ी में अन्तरित कर दी गई। प्रार्थी आयुष चौधरी जरिये संरक्षक महादेव माननीय न्यायालय से कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ इस कारण प्रार्थी को प्रकरण माननीय न्यायालय केकड़ी में अन्तरित होने की जानकारी नही हो सकी।

   बहस में आगे निवेदन किया कि दिनांक 28.02.2024 को अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 क जाप्ता दीवानी एवं आदेश 22 नियम 3 का पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा बगैर **प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थनापत्र स्वीकर कर प्रार्थनापत्र को अबेट कर पत्रावली फेसल शुमार कर दाखिल दफ्तर कर दी गई।** प्रार्थी उक्त पत्रावली की जानकारी करने के लिये दिनांक 01.05.2024 को अजमेर गया व अधिवक्ता से संपर्क किया तो जानकारी हुई कि उक्त पत्रावली माननीय न्यायालय केकड़ी में अन्तरित हो चुकी है। जिस पर प्रार्थी ने केकडी आकर जानकारी की तो पता चला कि उक्त पत्रावली दिनांक 28.02.2024 को खारिज हो चुकी है। प्रार्थी को उक्त पत्रावली खारिज होने की जानकारी दिनांक 09.05.2024 को हुई। इस कारण प्रार्थनापत्र पेश करने में विलम्ब हुआ जो क्षमा किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर देरी को कन्डोन किया जावे।

   अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर उक्त वाद/प्रार्थनापत्र संख्या 90/2023 की खारिजी/उपशमन को अपास्त किया जाकर सुनवाई किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

7. **अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि** दिनांक 28.02.2024 को अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10(क) जाप्ता दीवानी एवं आदेश 22 नियम 3 जाप्ता दीवानी प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2024 को प्रस्तुत किया था। जो उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा जो आदेश पारित किये थे जो पूर्णतया सही व सत्य है।

प्रार्थी स्वयं को उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित कथन की जानकारी होने के बावजूद भी प्रार्थी जानबुझकर हाजिर अदालत में उपस्थित नहीं हुआ एवं रामेश्वर की मृत्यु दिनांक 19.07.2017 को होने की जानकारी होने के बावजूद भी जानबुझकर उनके विधिक वारिसान बनाने हेतु दिनांक 06.02.2020 को समय अवधि निकलने के बावजूद भी धारा 5 का प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया व उक्त तथ्य की जानकारी प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.05.2024 को ताहिद किया है जो कानूनी तौर पर आदेश 22 नियम 3 जाप्ता दीवानी व लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थी के उक्त वाद पत्र को जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2024 को अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 (ए) एवं आदेश 22 नियम 3 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र सुनवाई कर प्रार्थी का जो प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) भू–राजस्व अधिनियम के तहत उक्त प्रार्थना पत्र को अबेट करने के आदेश पारित किये थे जो पूर्णतया विधि सम्वत होने से पूर्णतया सही है।

प्रार्थी को दिनांक 09.05.2024 को कैसे जानकारी हुई जिसकी जानकारी प्रार्थी द्वारा कोई समक्ष साक्ष्य से सिद्ध नहीं की। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का उक्त प्रार्थना व धारा 5 का प्रार्थना पत्र जो बिना किसी कारण के प्रस्तुत किया है जिसको मय हर्जे खर्चे से खारिज फरमाया जावे।

8. **हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।**

9. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज रिकॉर्ड का अवलोकन किया। **प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा देरी के कारण को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त आधारों पर तथा न्याय हित में मियाद कण्डोन कर प्रार्थना पत्र श्रवणार्थ ग्रहण की जाता है।**

10. *पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि अपीलाण्ट रामेश्वर द्वारा रेस्पोडेण्ट सुमित्रा वगै0 के विरूद्ध राज0 भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम–1970 के नियम 14(4)के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की। जिसको दिनांक 28.02.2024 को न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के फौत होने तथा विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नि0 10(ए) सीपीसी एवं आदेश 22 नि0 3 सीपीसी की सुनवाई कर अपीलाण्ट की मृत्यु होने के बावजूद विधिक वारिसान् को समय पर रिकॉर्ड पर नही लेने के कारण अपील प्रार्थना पत्र अबेट/ड्रॉप किया। अपीलाण्ट रामेश्वर की मृत्यु 19.07.2017 को हुई तथा पत्रावली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का मियाद अधिनियम 5 के साथ दिनांक 06.02.2020 को पेश किया जाना पाया गया। अतः कायम मुकाम प्रार्थना पत्र के अभाव में पत्रावली को अबेट किया जाता न्यायोचित नही है। रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता की विधिक वारिसान पर आपति का निर्णय कायम मुकाम प्रार्थना पत्र के उभयपक्षों की सुनवाई में साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर होगा।अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी व सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य है।*

न्यायालय अति जिला कलक्टर, केकडी(राज0)
[illegible]आसीन अधिकारी श्री दिनेश धाकड(आर.ए.एस.)
मु.नं. -12/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी सी0पी0सी0
उनवान- रामेश्वर बनाम सुमित्रा व अन्य

-:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 व सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील सं0 90/2023 (12/2024 नवीन) की खारिजी/अबेट को अपास्त किया जाकर पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।
निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
(दिनेश [illegible])
अति. जिला कलक्टर
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी
केकड़ी